न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम घरटा तहसील बनेड़ा
: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :
{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 172 / 2013 राजस्व वाद

अनवान

1. गोपाल पिता मेवा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी भटेडा हाल देवपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा राज0 —— **(वादी)**

बनाम

1. कैलाश पिता मेवा गुर्जर उम्र वयस्क भटेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. आवंल पुत्री मेवा गुर्जर उम्र वयस्क भटेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा–डिलीट
3. सीता पुत्री मेवा गुर्जर उम्र वयस्क भटेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा–डिलीट
4. राज राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. बरजी पत्नि धनराज गुर्जर उम्र वयस्क भटेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा–नवीन पक्षकार

——**(प्रतिवादी गण)**

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. श्री गोपाल गुर्जर ....वादी स्वंय
2. विपक्षी संख्या 01 व 05
3. पेरोकार सरकार......... विपक्षी क्रम 04

दिनांक– 13.06.2018

राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 केम्प मुकाम घरटा में वादी संख्या 01 व विपक्षी संख्या 01, 05 तथा राज्य पक्ष की और से तहसीलदार बनेडा शिविर के दौरान उपस्थित। आज दिनांक 13.06.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं। वादी का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण से अन्तर्गत धारा 53 ,188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत डिक्री विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम भटेडा पटवार क्षैत्र घरटा तहसील बनेडा स्थित खतौनी संख्या 107 किता 03 कुल रकबा 09–01 बीघा भूमि का शिविर मे तैयार कराया जाकर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 व 05 के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित / प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है–

1 गोपाल पिता मेवा गुर्जर सा खातेदार (वादी)

आ0न0	रकबा	लगान
1299	03-18	06.67
1305/1	00-11	
कुल 02	रकबा 04–09 बीघा	6.67

2 कैलाश पिता मेवा गुर्जर सा. खातेदार (विपक्षी संख्या 01)

आ0न0	रकबा	किस्म / लगान
1299/1	00-18	2.25
1305	00-12	
कुल 02	रकबा 01–10 बीघा	2.25

3 बरजी पत्नि धनराज गुर्जर सा. खातेदार (प्रतिवादी संख्या 04)

आ0न0	रकबा	किस्म / लगान
1229/2	03-00	4.35
कुल 01	रकबा 03–00 बीघा	4.35

उपरोक्तानुसार भूमि में वादी व प्रतिवादी क्रम 01 व 05 के मध्य क्रम संख्या 1 से 3 अनुसार रहेगा तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 व 05 को स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 13.06.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 केम्प मुकाम घरटा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ मय प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव प्रेषित हो।

उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)